न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–19/2023

अंजुम आरा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मंजूम आरा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 05.01.2026 को अंदर दफा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 17.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि दिनांक 17.09.2025 को न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिवादी सं0–02 का नाम काटकर उसकी जगह उनके वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करना था। वादिनी बीमार होने के कारण समय–सीमा के अंदर प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद कर उनके जगह उनके वारिशानों का नाम समय–सीमा के अंदर नहीं करा सकी। विगत माह में जब वादिनी अभिलेख पर प्रतिवादी सं0–02 के वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित कराने पहुँची तो न्यायालय के कार्यालय द्वारा पुनः आदेश प्राप्त करने की जानकारी दी गई। विगत तारीख दिनांक 22.12.2025 को न्यायालय कार्य बाधित रहा फलस्वरूप न्यायालय द्वारा अगली तारीख दिनांक 10.03.2025 निशिचित की गई है। जबकि यह साधारण बंटवारा का वाद है इसमें प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद कर उनकी जगह उनके वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित समय–सीमा के अंदर करने का आदेश द्वारा समय विस्तारित करने हेतु एवं समस्त वारिशानों की उपस्थिति हेतु सम्मन जारी न्यायालय द्वारा अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी को प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद कर उनके वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु समय देने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–19/2023

अंजुम आरा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मंजूम आरा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.03.2026	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा एक आवेदन दिनांक 05.01.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि निश्चित वादिनी को प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद कर उनके वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु समय देने का आदेश देने की कृपा करें। वादीगण का आवेदन न्यायसंगत है एवं इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 05.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर प्रतिवादी सं0–02 का नाम वादपत्र से कलमजद करें। वाद दिनांक 30.03.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	